प्रेस विज्ञप्ति

22.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 21.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत पी.वी. अनवर और अन्य से जुड़े कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान 2015 में केरल वित्तीय निगम (केएफसी) द्वारा धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत किए जाने से उत्पन्न धन शोधन की जाँच के संबंध में चलाया गया था। यह तलाशी मेसर्स मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पी वी आर डेवलपर्स, मेसर्स बिस मंजेरी एलएलपी, मेसर्स केरल वित्त निगम (मलप्पुरम शाखा) से जुड़े आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत परिसरों और इसमें शामिल प्रमुख व्यक्तियों के आवासों पर की गई।

यह जाँच मेसर्स मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स को दिए गए 7.5 करोड़ रुपये और 3.05 करोड़ रुपये + 1.5 करोड़ रुपये के ऋणों से संबंधित है। मेसर्स पी वी आर डेवलपर्स को 1.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसे उन्हीं संपार्श्विक संपत्तियों का उपयोग करके थोड़े समय के अंतराल में स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल एनपीए लगभग 22.3 करोड़ रुपये हो गया। प्रारंभिक साक्ष्य स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग, नाममात्र के शेयरधारकों और निदेशकों के उपयोग और संपत्तियों के संदिग्ध बेनामी स्वामित्व का संकेत देते हैं।

तलाशी के दौरान पी.वी. अनवर ने स्वीकार किया कि मेसर्स मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स का वास्तविक लाभकारी मालिक वही है, जबकि कंपनी उसके भतीजों और ड्राइवर के नाम पर है। उन्होंने पुष्टि की कि ऋण राशि का उपयोग बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट "पी वी आर मेट्रो विलेज" के लिए किया गया था। उनके सहयोगियों के बयानों से पता चला कि दस्तावेजों पर उनके निर्देश पर नियमित रूप से हस्ताक्षर किए गए थे, धन को संबद्ध संस्थाओं में भेज दिया गया था, और कुछ नकदी संग्रह नियमित लेखांकन चैनलों के बाहर संभाले गए थे। यह भी पाया गया है कि पीवीआर मेट्रो विलेज में मेसर्स मलमकुलम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थानीय/नियामक निकाय से उचित अनुमोदन के बिना कुछ इमारतों का निर्माण किया गया था और उक्त निर्माण में अपराध की आय का इस्तेमाल किया गया है।

मेसर्स बिस मंजेरी एलएलपी और पीवीआर मेट्रो विलेज के परिसरों की तलाशी में स्कूल, मनोरंजन पार्क, रिसॉर्ट, विला परियोजनाओं और अपार्टमेंट ब्लॉकों सहित व्यापक निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधि का संकेत मिला। एकत्र किए गए साक्ष्य संबंधित संस्थाओं के बीच ऋण आय के हस्तांतरण और स्वीकृत गतिविधियों से असंबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग का सुझाव देते हैं।

कार्रवाई के दौरान दर्ज किए गए केएफसी अधिकारियों के बयानों में प्रक्रियागत खामियों, पूर्व बंधकों का सत्यापन न किए जाने और बाद के ऋणों के लिए उसी संपार्श्विक का पुनः उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ। तकनीकी अधिकारी ने स्वीकार किया कि मूल्यांकन रिपोर्टों का नए सिरे से निरीक्षण किए बिना पुनः उपयोग किया गया, और कानूनी अधिकारी ने माना कि पहले के ऋणों का पता नहीं चला।

तलाशी के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर रखे गए 15 बैंक खातों की पहचान की गई, जो कथित रूप से बेनामी हैं और जिनसे संदिग्ध लेनदेन हुए हैं। जब्त की गई सामग्री की जाँच अपराध की आय की पहचान करने, ऋण राशि के विचलन की मात्रा निर्धारित करने, स्तरीकरण तंत्र स्थापित करने और बेनामी होल्डिंग्स की सीमा निर्धारित करने के लिए की जा रही है।

आगे की जाँच जारी है।